पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 127/2024 दिनांक- 18.04.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- कन्धरापुर

आरक्षी भर्ती परिक्षा में नकल कराने वालें गिरोंह का सदस्य गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 17.02.2024 को तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह, प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी मय स्वाट टीम व हे0का0 उमेश यादव सर्विलान्स द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस (आरक्षी) परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह को नकल कराने से पूर्व ही सेहदा चक बिजली ग्राम मार्ग से 07 अभियुक्तों 1. संजय यादव पुत्र स्व0 रामराज यादव निवासी कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ, 2. रोहित गुप्ता पुत्र भरतलाल गुप्ता निवासी वार्ड नम्बर- 2 अम्बेडकर नगर कसवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ, 3. हरिवंश यादव पुत्र सुखई यादव निवासी दिवाकरपुर थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर, 4. भीम यादव पुत्र स्व0 मोती यादव निवासी खनियरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ, 5. कैलाश यादव पुत्र श्यामजीत यादव निवासी ग्राम जैतीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ, 6. राजेश तिवारी पुत्र स्व0 सभाकर तिवारी निवासी ग्राम जियासड़ थाना मेहनगर जनपद आजमगढ, 7. पवन कुमार सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम भगेही थाना रामपुर जिला जौनपुर को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 7360/- रूपया, 14 लाख रूपये के 02 चेक बरामद हुआ। तथा शेष 02 अभियुक्त 1. अशोक जैसवार पुत्र हरिनाथ जायसवार निवासी ग्राम विद्रावन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर, 2. विजय कन्नौजिया पुत्र छोटे लाल कन्नौजिया निवासी ग्राम कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ मौके से फरार हो गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 46/2024 धारा 120B/ 419/ 420/ 467/ 468/ 471/ 34 भादवि0 पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेजा गया था।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त पिन्टू सेठ पुत्र प्रेमचन्द सेठ निवासी ग्राम गुतवन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 18.04.2024 को उ0नि0 अमित कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त पिन्टू सेठ पुत्र प्रेमचन्द सेठ निवासी ग्राम गुतवन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर को बरदह-जौनपुर बाईपास (जिवली तिराहा) से समय करीब 10.10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- पिन्टू सेठ पुत्र प्रेमचन्द्र सेठ निवासी ग्राम गुतवन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर उम्र करीब 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 46/2024 धारा 120B/419/420/467/468/471/34 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 अमित कुमार पाल, मु0आ0 गोरखनाथ यादव,आरक्षी रामशरन थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ पर जान से मारने की नियत से हमला करने वाले अभियुक्त सागर उर्फ भीम को 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त सागर उर्फ भीम पुत्र राजदेव निवासी उबारपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना कोतवाली: हत्या का प्रयास मामले में अभियुक्त सागर उर्फ भीम पुत्र राजदेव निवासी उबारपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 03 हजार रूपये जुर्माना।

➡ दिनांक- 19.07.2017 को वादी मुकदमा तत्कालिन पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त सागर उर्फ भीम पुत्र राजदेव निवासी उबारपुर थाना गम्भीरपुर जनपद

आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा पर पुलिस मुठभेड के दौरान जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 272/2013 धारा 307/384/120 बी भादवि0 बनाम सागर उर्फ भीम पंजीकृत किया गया था।

➡ विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सागर उर्फ भीम पुत्र राजदेव निवासी उबारपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 13 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 18.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 01 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सागर उर्फ भीम पुत्र राजदेव निवासी उबारपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

➡ अभियुक्त सागर उर्फ भीम थाना गम्भीरपुर का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरुद्ध लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, धोखाधडी व गैंगेस्टर जैसे अन्य संगीन अपराधों में कुल 17 मुकदमें पंजीकृत है।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली

अवैध तमन्चा रखने वाले अभियुक्त सागर उर्फ भीम को 07 वर्ष कठोर कारावास एवं 3000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा

आज दिनांक 18.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 01, द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 371/2017 धारा 3/7/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सागर उर्फ भीम पुत्र राजदेव निवासी उबारपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 394 वाहनों का चालान

दिनांक- 18.04.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 93 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें **कुल 1928 वाहनों को चेक** किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवको द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले **394 वाहनों का चालान** किया गया।